न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 10.05.2025

राजस्व वाद संख्या :30 / 2025

निर्णय दिनांक : 10.05.2025

सीसीएमएस संख्या– 2024 / 58 दायर दिनांक – 03.02.2025

सांवरमल पुत्र श्रवणराम जाति नायक निवासी ग्राम सुनारी तहसील लाडनूं जिला नागौर वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री नरेश कुमार सोनी एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 161 तादादी 2.8451 हैक्टेयर वाके रोही मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलचाल की भाषा में वादी का नाम नानूराम की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम सांवरमल पुत्र श्रवणराम जाति नायक है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम नानूराम पुत्र श्रवणराम जाति नायक निवासी मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम सावंरमल पुत्र श्रवणराम जाति नायक निवासी सुनारी दर्ज है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नानूराम पुत्र श्रवणराम जाति नायक निवासी मुन्दड़ा के स्थान पर सावंरमल पुत्र श्रवणराम निवासी सुनारी किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग के पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, विक्रय पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम सांवरमल पुत्र श्रवणराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 161 तादादी 2.8451 हैक्टेयर वाके रोही मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम नानूराम पुत्र श्रवणराम जाति नायक निवासी मुन्दड़ा के स्थान पर सांवरमल पुत्र श्रवणराम निवासी सुनारी खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 10.05.2025

सांवरमल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा न0 30 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री नरेश कुमार सोनी एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 161 तादादी 2.8451 हैक्टेयर वाके रोही मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम नानूराम पुत्र श्रवणराम जाति नायक निवासी मुन्दड़ा के स्थान पर सांवरमल पुत्र श्रवणराम निवासी सुनारी खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज...मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 10माह 05. 2025**

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		